



पत्रांक—BSEB(SS)/KEN/26...../2024

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक : 09...../01...../2024

विषय: आगामी इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2024 के लिए +2 स्तर के शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की डायरेक्टरी को ऑनलाइन अद्यतन/अपलोड करने हेतु आठवीं बार अवधि विस्तार करने के संबंध में।

- प्रसंग:** समिति कार्यालय (i) विज्ञप्ति संख्या—पी0आर0 310./2023
(ii) विज्ञप्ति संख्या—पी0आर0 350 /2023
(iii) विज्ञप्ति संख्या—पी0आर0 373 /2023
(iv) विज्ञप्ति संख्या—पी0आर0 393 /2023
(v) विज्ञप्ति संख्या—पी0आर0 423 /2023
(vi) विज्ञप्ति संख्या—पी0आर0 446 /2023
(vii) पत्रांक—BSEB(SS)/KEN/1269/2023, दिनांक 19.12.2023
(viii) विज्ञप्ति संख्या—पी0आर0 458 /2023
(ix) पत्रांक—BSEB(SS)/KEN/1295/2023, दिनांक 27.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विज्ञप्तियों के माध्यम से इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2024 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं परीक्षा से संबंधित विभिन्न गोपनीय कार्यों के उद्देश्य से शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा शिक्षक डायरेक्टरी समिति के वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in/teachdirinter.biharboardonline.com पर दिनांक 08.01.2024 तक ऑनलाइन अद्यतन/अपलोड करने हेतु अवसर प्रदान किये गए हैं, जिसे पुनः दिनांक 15.01.2024 तक विस्तारित किया जाता है।

2. यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विज्ञापन प्रकाशन के बाद अगले ही दिन आपको विज्ञापन की प्रति भेजते हुए यह अनुरोध किया जाता रहा है कि सभी अर्हता प्राप्त शिक्षकों की विवरणी की ऑनलाइन समिति के पोर्टल पर अपलोड/अद्यतन करने के निमित्त सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान को निदेशित करें। संप्रति अभी यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित अध्यापक परीक्षा के माध्यम से चयनित शिक्षक, जिनके द्वारा विद्यालय में योगदान किया गया, उनकी विवरणी भी अद्यतन/अपलोड करने हेतु विशेष रूप से अनुरोध किये गए हैं।

3. प्रसंगवश यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कई नियोजित शिक्षक नई नियुक्ति के कारण नवपदस्थापन शिक्षण संस्थान में योगदान कर चुके होंगे, इसलिए उनकी पूर्व के अध्यापन कार्य विवरणी भी समिति के पोर्टल पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में अंकित कर अद्यतन/अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

4. कंडिका-1, 2 एवं 3 में वर्णित निदेश के बावजूद कतिपय शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा अध्यापित शिक्षक विवरणी अभी तक जानबूझ कर अद्यतन/अपलोड नहीं किया गया है, जो अत्यंत खेदजनक एवं चिंता का विषय है। यह स्पष्ट रूप से समिति द्वारा निर्गत निदेश का उल्लंघन तथा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की ससमय तैयारी में बाधा उत्पन्न करने का द्योतक है, जो वांछनीय नहीं है।

5. अंकनीय है कि केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान द्वारा ही वैध शिक्षकों का विवरणी ऑनलाइन अद्यतन/अपलोड किया जाएगा। जिन शिक्षण संस्थान की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे शिक्षण संस्थान से वांछित विवरणी कदापि अद्यतन/अपलोड नहीं किया जायेगा। साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति में मृत शिक्षक/सेवानिवृत्त शिक्षक/स्थानांतरित शिक्षक अथवा काली सूची में शामिल शिक्षकों अथवा विषय से भिन्न शिक्षकों का नाम इस सूची में कदापि अपलोड नहीं किया जाएगा। यह भी

2/10

स्पष्ट किया जाता है कि जो शिक्षक फरवरी, 2024 से पूर्व सेवानिवृत्त हो जायेंगे, वैसे शिक्षकों का नाम भी इस सूची में अद्यतन/अपलोड नहीं किया जाएगा।

6. वर्णित परिदृश्य में स्मारित करते हुए पुनः अनुरोध है कि अधीनस्थ सभी +2 विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान को इस पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए समिति द्वारा अंतिम अवसर के रूप में नवीं बार विस्तारित अवधि (दिनांक 15.01.2024 तक) में जिलान्तर्गत अधीनस्थ सभी +2 विद्यालय प्रधान को अचूक रूप से शिक्षक डायरेक्टरी अद्यतन/अपलोड करने हेतु स्पष्ट रूप से निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि किसी +2 विद्यालय/महाविद्यालय/शिक्षक का अधियाचित विवरणी अद्यतन/अपलोड करना लंबित न रहे।

7. यह भी अनुरोध है कि कंडिका-2 एवं 3 के आलोक में अधीनस्थ सभी +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों के प्रधान को विशेष रूप से कार्रवाई हेतु स्पष्ट रूप से निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि किसी नवचयनित शिक्षक की विवरणी अद्यतन/अपलोड करना शेष न रहे। विज्ञप्ति संख्या-पी0आर0 458/2023 के शेष निदेश यथावत् रहेंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन

26.01.24

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

पटना, दिनांक : 09/01/2024

ज्ञापांक : BSEB(SS)/KEN/26-----/2024